Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-66/2011-एमपीलैड्स (भाग-III)

Dated 27 जून, 2013

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बीमार/घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंसों की खरीद ।

महोदय,

मंत्रालय को एमपीलैड योजना के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बीमार/घायल पशुओं के लिए वाहनों की खरीद की अनुमति प्रदान करने के निमित्त अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है और पैरा 3.25.1 को जोड़कर एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को संशोधित करने तथा दिशानिर्देशों के अनुबंध II-क में क्र.सं.10.1 पर निम्नलिखित विस्तृत प्रक्रिया को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

10.1 पशुओं को ले जाने तथा लाने के लिए वाहन (पैरा 3.25.1)
वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं (बीमार/घायल अथवा अन्यथा) को ले जाने तथा लाने के निमित्त वाहनों की खरीद करने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप अनुमति प्रदान की गई है:

(क) वाहनों की खरीद एक त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर बतौर अध्यक्ष तथा संबंधित जिला वन अधिकारी और संबंधित वन्य जीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यानों के निदेशक/प्रमुख के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे ।

(ख) इस प्रकार क्रय किए गए वाहन का स्वामित्व संबंधित वन्य जीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों के पास होगा और वाहन संबंधित वन्य जीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक/प्रमुख की सामान्य देखरेख के अंतर्गत होगा ।

(ग) इस प्रकार क्रय किए गए वाहन पर दोनों तरफ बड़े अक्षरों में 'पशुओं के लिए वाहन' भारत सरकार की एमपीलैड्स निधि के तहत श्री ...., संसद सदस्य के अंशदान से प्राप्त' लिखा हो ।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

डी० साईबाबा 27/6/13

(डी. साईबाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें ।